



**न्यायालय : जनपद न्यायाधीश, गोरखपुर।**

सिविल प्रकीर्ण वाद संख्या- 32/2025

सिद्धार्थ त्रिपाठी बनाम महेन्द्र व अन्य।

**25.03.2026**

यह अन्तरण प्रार्थना-पत्र 4 ग सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा- 24 के अन्तर्गत आवेदक सिद्धार्थ त्रिपाठी की ओर से वाद संख्या- 3118/2017, विन्दावती बनाम सावित्री, वाद संख्या- 1883/2017, सावित्री बनाम विन्दावती व अन्य, वाद संख्या- 886/2012, सावित्री बनाम देवीदत्त व अन्य व वाद संख्या- 539/2011, धर्मदेव बनाम सावित्री देवी की पत्रावलियों, जो वर्तमान समय में अतिरिक्त सिविल जज (कनिष्ठ संवर्ग), कोर्ट संख्या- 07, गोरखपुर में लम्बित है, को प्रार्थना-पत्र में वर्णित आधारों पर अन्य किसी सक्षम न्यायालय में अन्तरित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अन्तरण प्रार्थना-पत्र 4 ग मय शपथ-पत्र में आवेदक का मुख्य रूप से यह कथन है कि वर्तमान में अतिरिक्त सिविल जज (कनिष्ठ संवर्ग), कोर्ट संख्या- 07, गोरखपुर का न्यायालय रिक्त है तथा क्रम संख्या- 1 पर दर्ज वाद में उच्च न्यायालय का शीघ्र निस्तारण का दिशा निर्देश भी है। अतः उपरोक्त पत्रावली को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में अन्तरित किये जाने का निवेदन किया गया है।

अन्तरण प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों के सम्बन्ध में सम्बन्धित न्यायालय से आख्या आहूत की गयी, जिसका मेरे द्वारा अवलोकन किया गया।

अन्तरण प्रार्थना-पत्र पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना।

उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों से यह स्पष्ट है कि वर्तमान में अतिरिक्त सिविल जज (कनिष्ठ संवर्ग), कोर्ट संख्या- 07, गोरखपुर के न्यायालय में किसी पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 4 ग स्वीकार किया जाता है। वाद संख्या- 3118/2017, विन्दावती बनाम सावित्री, वाद संख्या- 1883/2017, सावित्री बनाम विन्दावती व अन्य, वाद संख्या- 886/2012, सावित्री बनाम देवीदत्त व अन्य व वाद संख्या- 539/2011, धर्मदेव बनाम सावित्री देवी की पत्रावलियों, जो वर्तमान समय में अतिरिक्त सिविल जज (कनिष्ठ संवर्ग), कोर्ट संख्या- 07, गोरखपुर में लम्बित है, को उक्त न्यायालय से वापस लेकर सिविल जज (कनिष्ठ संवर्ग), गोरखपुर के न्यायालय में विधि अनुसार निस्तारण हेतु स्थानान्तरित किया जाता है।

जनपद न्यायाधीश,  
गोरखपुर।